न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 दौसा, जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी – सीमा करोल, आर.जे.एस.

(UID No. RJ00828)

नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या– 5012/2020
सीआईएस संख्या– 5012/2020
सीएनआर संख्या– RJDS020025902020

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, प्रथम, दौसा, जिला दौसा, राजस्थान।

बनाम

1–मुकेश कुमार पुत्र रामनाथ उम्र 42 साल, निवासी कानपुरा थाना नांगल राजावतान जिला दौसा।
2–राजन्ती देवी पत्नि मुकेश कुमार उम्र 40 साल, निवासी कानपुरा थाना नांगल राजावतान जिला दौसा।

–अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः –

01. विद्वान अभियोजन अधिकारी, प्रथम, राज्य की ओर से।
02. विद्वान अधिवक्ता श्री बजरंग लाल शर्मा–अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय **दिनांकः** 01–04–2026

1. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण मुकेश कुमार व राजन्ती देवी के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत अपराध धारा 323, 341, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता में दिनांक 24.12.2020 को थानाधिकारी पुलिस थाना नांगल राजावतान दौसा द्वारा इस न्यायालय में पेश किया गया, जिसका एतद् द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी/बाबूडी ने दिनांक 14/08/2020 को थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान दौसा के समक्ष उपस्थित होकर लिखित तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की गयी थी कि दिनांक 14/08/2020 को करीबन शाम 6 बजे हमारे साथ मारपीट हुयी। हमारे साथ मारपीट करने वाले का नाम मुकेश मीना पुत्र रामनाथ मीना, गिर्राज मीना पुत्र रामनाथ मीना और राजन्ती देवी पत्नि मुकेश मीना, उगन्ती देवी इन लोगों ने बाबूडी देवी के साथ मारपीट की और लड़की सम्पती कुमारी मीना के साथ मारपीट की। सम्पती के हाथ में चोट आई और बाबूडी देवी सिर में व जगह जगह चोट आयी। इन लोगो ने एक राय होकर मारपीट की............आदि।

3. जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान दौसा द्वारा कार्यवाही पुलिस अंकित कर मुकदमा संख्या–177/2020 धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। प्रकरण में बाद अनुसंधान अभियुक्तगण मुकेश कुमार व राजन्ती देवी के विरूद्ध धारा 323, 341, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र पेश किये गये, जिस पर न्यायालय अभियुक्तगण मुकेश कुमार व राजन्ती देवी के विरूद्ध धारा 323, 341, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. तत्पश्चात् बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 323, 341, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये समझाये गये जिसे सुन व समझकर अभियुक्तगण ने आरापों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को सिद्ध करने के लिये अभियोजन द्वारा मौखिक साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू–1 रामकरण, पीडब्ल्यू–2 सम्पत्ति, पीडब्ल्यू–3 बाबुडी, पीडब्ल्यू–4 पूरण, पीडब्ल्यू–5 डॉ मनोज कुमार, पीडब्ल्यू–6 प्रेमराज को परीक्षित कराया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–05 को प्रदर्शित कराया गया।

6. इसके पश्चात अभियुक्तगण को धारा 313 दं०प्र०सं० के तहत परीक्षित कराया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य का गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

7. बहस अंतिम सुनी गयी। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने कथन किया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये गवाहों ने अपने न्यायालय बयानों में अभियोजन कहानी का समर्थन किया है तथा गवाह एक–दूसरे की साक्ष्य का समर्थन करते हैं तथा अभियोजन पक्ष पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1. Appabhai & Anr. Vs. State of Gujarat,
   AIR 1988 SC 696

8. इसके विपरीत दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा कि प्रकरण में अभियुक्तगण को गलत रूप से फंसाया गया है वे निर्दोष है एवं प्रकरण में गवाहान की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

9. उभय पक्ष के तकों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया इस प्रकरण के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 14/08/2020 को शाम 6 बजे के करीब वाके मौजा कानपुरा ढाणी नलावाली दौसा स्थित परिवादिया बाबूडी के मकान के बाहर रास्ते में आहता बाबूडी व सम्पति के साथ मारपीट करने के आशय से उन्हें रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा आपने अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहता बाबूडी व सम्पति के साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित कर आहता सम्पति के बांये हाथ पर कुन्द हथियार से मारकर गंभीर उपहति कारित की, जिससे उसके फैक्चर कारित किया। इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने धारा 323, 341, 325/34, भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराध कारित किया?

(2) यदि हाँ तो अभियुक्तगण के लिए उचित दण्ड क्या होगा?

Seema Karol,
UID No.- RJ00828
ACJM-1 Dausa

10. अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त ने दिनांक 14/08/2020 को शाम 6 बजे के करीब वाके मौजा कानपुरा ढाणी नलावाली दौसा स्थित परिवादिया बाबूडी के मकान के बाहर रास्ते में आहता बाबूडी व सम्पति के साथ मारपीट करने के आशय से उन्हें रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा आपने अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहता बाबूडी व सम्पति के साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित कर आहता सम्पति के बांये हाथ पर कुन्द हथियार से मारकर गंभीर उपहति कारित की, जिससे उसके फैक्चर कारित किये जाने के आरोप है। इस संबंध में प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 06 गवाहान को परीक्षित कराया गया है।

11. प्रकरण में गवाह पीडब्ल्यू–1 रामकरण है न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन करता है कि पुलिस ने मेरे सामने कोई नक्शा मौका नहीं बनाया। नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 के ए से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि मेरे पुलिस ने थाने पर खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे।

12. गवाह पीडब्ल्यू–2 सम्पति न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन करता है कि सन् 2020 की शाम के छ बजे की बात है। मेरे चाचा मुकेश व राजन्ती हमारे बकरी के बाडे का जाल हटा रहे थे। मेरी माँ बाबुडी ने उनसे जाल हटाने के लिए मना किया तो चाचा मुकेश व चाची राजन्ती ने मेरी माँ के साथ मारपीट की मारपीट लाठी डंडो व लात घुसो से की। मैं वहीं पर भैस चरा रही थी। मैं अपनी माँ को बचाने आयी तो मेरे साथ भी मुकेश व राजन्ती ने मारपीट करी। मेरे चाचा मुकेश ने हाथ पर लाठी की मारी। और राजन्ती ने भी हाथ पर लाठी की मारी। मेरी माँ के साथ भी मुकेश व राजन्ती ने सिर पर मारी जिससे उसके फैक्चर हो गया तथा शरीर पर अन्य जगह चोट आयी थी। मेरे हाथ में तथा अन्य जगह चोटे आयी। छुडाने के लिए कोई भी नहीं आया। मेरे हाथ के अंगुठे में फैक्चर हो गया था। झगड़ा जाल खोलने की बात को लेकर हुआ था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 02 है जिसपर एक्स स्थान पर मेरी अंगुठा निशानी है।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि मेरे सिर में लगते ही मैं बेहोश होकर गिर गयी। फिर मेरी बाद में मेरी लडकी आयी तो उसके अंगुठे पर मारी। मेरे को होश नांगल में आने के बाद आया था। मेरे को यह पता नहीं है कि कौन आया कौन नहीं आया। प्रदर्श पी 01 पर मेरी अंगुठा निशानी खाली कागज पर थाने पर करवायी थी।

13. गवाह पीडब्ल्यू–3 बाबुडी न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन करती है कि आज से करीब चार साल पहले शाम को करीब 6 बजे की बात है। मैंने बकरी पाल रखी है जिसके चारो ओर जाल लगा रखा है। मेरा देवर मुकेश व राजन्ती जाल को हटाने लग गये। मैंने मना किया तो मुकेश व राजन्ती ने मेरे साथ लाठी डंडो से मारपीट करी। मेरे झगड़े से सिर में हाथ पर तथा अन्य जगह चोटे आयी। सिर में 5 टांके आये। मेरी बेटी सम्पति वहीं पर भैंस चरा रही थी तो आवाज सुनकर मुझे बचाने आयी तो उसके साथ भी मारपीट की। उसके अंगुठे में तथा अन्य जगह चोट आयी थी। मेरे द्वारा घटना की रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 है जिसपर एक्स स्थान पर मेरी अंगुठा निशानी है चाक एफआईआर प्रदर्श पी 04 है जिसपर एक्स स्थान पर मेरी अंगुठा निशानी है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 है जिसपर एक्स स्थान पर मेरी अंगुठा निशानी है। मेरी चोटो का मेडिकल

मुआयना हुआ था चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 5 है जिसपर पर एक्स स्थान पर अंगुठा निशानी है।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि मैं दूर भैंस चरा रही थी मेरी माँ के मारपीट हुई उसके काफी देर बाद में आयी। मौके पर कोई नहीं था। मेरे अंगुठे पर किसने मारी मुझे पता नहीं।

14. गवाह पीडब्ल्यू–4 पूरण न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन करती है कि करीब तीन चार साल पहले की बात है। मैं झगड़े के समय मौजूद नहीं था मैं नांगल गया हुआ था। मुकेश, गिर्राज, राजन्ती, उगन्ती ने बाबुडी और उसकी बच्ची सम्पति के साथ मारपीट की। बाबुडी बकरी के बाडे का जाल बना रही थी मुकेश व राजन्ती, गिर्राज, उगन्ती ने बनाने नहीं दिया। इसी बात को लेकर के चारो ने मिलकर बाबुडी व सम्पत्ति के साथ मारपीट की तथा घायल कर दिया। मैने बाबुडी के साथ थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवायी थी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 है चाक एफआईआर प्रदर्श पी 04 पर ए से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। घटना स्थल का नक्शा मौका मेरे सामने बनाया गया था जो प्रदर्श पी 01 है जिसपर सी से डी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि यह बात सही है कि झगड़ा हुआ तब मैं मौके पर नहीं था। यह बात सही है कि मैंने मारपीट करते हुए नहीं देखा। प्रदर्श पी 01 पर मेरे हस्ताक्षर थाने पर करवाये थे पुलिस वालो ने उसमें क्या लिखा मुझे पता नहीं है। प्रदर्श पी 01 पर मेरे खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे।

15. गवाह पीडब्ल्यू–5 डॉ मनोज कुमार न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन करता है कि दिनांक 16.08 2020 को मैं जिला चिकित्सालय दौसा में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर कार्यरत था उस दिन मैंने पुलिस प्रतिवेदन थाना नांगल की तहरीर पर भानूडी पुत्री हरफूल निवासी कानपुरा की घोटो का मेडिकल किया था। 1– नीले रंग का नीलगू निशान 4 गुणा 3.5 सेन्टीमीटर वाये कोहनी पर के पीछ उपस्थित था। इसी में खुरन्ड व रगड का निशान 2.1 रोन्टीमीटर गुणा 06 सेन्टीमीटर नीलगू निशान के बीच में उपस्थित था सूजन थी। 2–6 टोंके लगा हुआ निशान अनियमित घाव जो की 6.2 सेन्टीमीटर लम्बा था जो की सिर में दांये तरफ उपस्थित था एवं घाव का मध्य भाग दाँये कान के उपरी से करीबन 11.2 सेन्टीमीटर उपर उपस्थित था। घाव के चारों तरफ नीले रंग का नीलगू निशान उपस्थित था। 3– 3 टोंके लगे हुए 3.5 सेन्टीमीटर लम्बा अनियमित धाव सिर के पिछले हिस्से में दायें तरफ उपस्थित था जो की कान के उपरी भाग से 8.5 सेन्टीमीटर उपर उपस्थित था। घाव के चारों तरफ नीले रंग का नीलगू निशान उपस्थित था। 4– नीले रंग का नीलगू निशान 3.8 गुणा 2.1 सेन्टीमीटर चेहरे के वायी तरफ कान से 2.5 सेन्टीमीटर की दूरी पर उपस्थित था। नीलगू निशान के मध्य भाग में सुरंट नूमा रगड का निशान उपस्थित था जो की 1.5 गुणा 0.5 सेन्टीमीटर का था लाल भूरे रंग का था। चोट नम्बर 1 से 4 के लिए एक्सरे की राय दी गई थी एवं सभी चोटें कुन्द हथियार से कारित थी एवं चोटों की समय अवधि लगभग 1 से 2 दिन की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 5 है जिस पर एक्स स्थान पर मजरूब की निशानी है तथा ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। बाबूडी की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है ओर सी से डी डा० शिवचरण मीणा की राय है ओर ई से एफ मेरे द्वारा दी गई राय है। बाबूडी की सारी चोटें सामान्य प्रकृति की है। उसी दिन मैंने सम्पत्ति पत्नी हरफूल निवासी कानपूरा की चोटों का मुआयना किया था। 1–नीले रंग का नीलगू निशान 2.1 गुणा 1.2 सेन्टीमीटर दाये अंगूठे पर पीछे भाग में

Seema Karol,
UID No.- RJ00828
ACJM-1 Dausa

उपस्थित है। दाये अंगूठे के पास सूजन उपस्थित थी। चोट के लिए एक्सरे की राय चाही गयी थी उक्त चोट कुन्द हथियार से कारित थी चोटों की अवधि 1 से 2 दिन के अन्दर की थी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 है जिस पर ए से बी मेर हस्ताक्षर है सी से डी डा० शिवचरण मीणा की राय है व इ से एफ मेरी है मेरी राय के अनुसार उक्त्त चोट गम्भीर प्रकृति थी चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–2 है जिस पर एक्स स्थान पर सम्पत्ति की निशानी है। ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि मजरूब बाबूडी, सम्पत्ति की चोट कठोर धरातल पर गिरने पडने से आने की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता है चोट प्रतिवेदन 2 व 5 की चोटें स्वकारित नही हो सकती है।

16. गवाह पीडब्ल्यू–6 प्रेमराज न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन करता है कि मैं दिनांक 14.08.2020 को पुलिस थाना नांगल राजावतान पर हैड कानि के पद पर पदस्थापित था। उस दिन एसएचओ कृष्ण कुमार द्वारा 177/2020 धारा 323,341 आईपीसी की पत्रावली वास्ते अनुसंधान मुझे सुपुर्द की गयी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 है जिसपर सी से डी भाग पर कार्यवाही पुलिस तथा ई से एफ भाग पर एसएचओ कृष्ण कुमार जी के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदश पी 04 है जिसपर सी से डी भाग पर एसएचओ कृष्ण कुमार के हस्ताक्षर है। जिनकी अधीनस्थ कार्य करने के कारण उनके हस्ताक्षर पहचानता हूँ। दौराने अनुसंधान घटना स्थल का नक्शा मौका मौतबिरान की उपस्थिति में कसीद किया गया जो प्रदश पी 01 है जिसकी पुस्त पर हालात मौका अकित है तथा ई से एफ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। गवाहान सम्पति देवी, पूरणचन्द्र, बाबुडी के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। मजरूब सम्पति. बाबुडी की चोटो का मेडिकल मुआयना करवाया जाकर चोट प्रतिवेदन, एक्स–रे प्लेट, एक्स–रे रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया। एक्स–रे रिपोर्ट में मजरूबा सम्पति के चोट गम्भीर प्रकृति की आने पर प्रकरण में धारा 325 आईपीसी जोड़ी गयी। सम्पूर्ण तफ्तीश के पश्चात् मुलजिम मुकेश कुमार व राजन्ती देवी के विरूद्ध धारा 323,341,325, 34 आई पीसी में अपराध प्रमाणित मानते हुए पत्रावली एसएचओ को सुपुर्द की। जिनके द्वारा मुलजिमान के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर एसएचओ कृष्ण कुमार जी के हस्ताक्षर है।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि मारपीट डंडो से की थी। मैंने डंडा बरामद नहीं किया था। मैंने केवल पूरण चन्द्र जो पड़ौसी के बयान लिये है। परिवादी व मजरूब के बयान लिये थे। मैं घटना स्थल पर गया था तब तारबंदी हो रही थी या नहीं मुझे आज पता नहीं है। दूसरे दिन ही मेडिकल करवा लिया था।

17. पत्रावली पर मौजूदा गवाहान के बयानों के बयानों व दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में आरोपीगण पर आरोप है कि दिनांक 14/08/2020 को शाम 6 बजे के करीब वाके मौजा कानपुरा ढाणी नलावाली दौसा स्थित परिवादिया बाबूडी के मकान के बाहर रास्ते में आहता बाबूडी व सम्पति के साथ मारपीट करने के आशय से उन्हें रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा आपने अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहता बाबूडी व सम्पति के साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित कर आहता सम्पति के बांये हाथ पर कुन्द हथियार से मारकर गंभीर उपहति कारित की, जिससे उसके फैक्चर कारित किया। उक्त आरोपों के समर्थन में अभियोजन पक्ष के द्वारा न्यायालय में

कुल 06 गवाहान को परीक्षित कराया गया। सर्वप्रथम गवाह पीडब्ल्यू 3 बाबुडी के बयानों का अवलोकन किया गया। गवाह बाबुडी अपनी मुख्य परीक्षा में मुकेश व राजन्ती द्वारा अपने साथ मारपीट करना बताती है जबकि जिरह में कथन करती है कि उसकी मां के साथ मारपीट हुई उसके आधे घण्टे बाद में आयी थी और मौके पर कोई नहीं था। उसके अंगूठे पर किसने मारी उसे पता नहीं है जबकि गवाह बाबुडी के अंगुठे पर कोई चोट नहीं होना उसकी मेडिकल रिपोर्ट से साबित है। गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में अपनी मुख्य परीक्षा का किसी प्रकार समर्थन नहीं किया है। गवाह जिरह में अपनी मां के साथ मारपीट करना कहती है जबकि मुख्य परीक्षा में स्वयं के साथ मारपीट होना बताती है। गवाह बाबुडी के मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षण में विरोधाभासी कथन करने से अभियोजन कहानी में संदेह उत्पन्न होता है। इस प्रकार गवाह बाबुडी के कथनो से अभियोजन कहानी संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती है। गवाह पीडब्ल्यू 4 पूरण अपनी मुख्य परीक्षा में मुलजिमान द्वारा बाबुडी व सम्पति के साथ मारपीट करना कहता है जबकि अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करता है कि वह झगडा हुआ जबक मौके पर नहीं था। यह बात सही है कि उसने मारपीट होते हुए नहीं देखा। प्रदर्श पी 1 थाने पर पुलिस वालो ने खाली कागज पर हस्ताक्षर कराये थे। इस प्रकार उक्त गवाह एक तो सुनी सुनाई साक्ष्य देता है और स्वयं के द्वारा घटना देखने से इन्कार करता है तथा साथ ही प्रदर्श पी 1 नक्शा मौका की ताईद नहीं करता है। इस प्रकार उक्त गवाह के कथनों से अभियोजन कहानी संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती है। गवाह पीडब्ल्यू 2 सम्पति अपने बयानों में मुलजिमान द्वारा अपने हाथ पर चोट मारना बताती है जबकि जिरह में कथन करती है कि उसके सिर में लगते ही वह बेहोश हो गयी फिर उसकी लडकी आयी तो उसके अंगुठे पर मारी। जबकि पत्रावली पर ना तो सम्पति की बेटी को गवाह बनाया गया है और ना ही उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली पर है। गवाह ने मुख्य परीक्षण में अपनी मां के सिर पर चोट मारना बताया है जबकि जिरह में स्वयं के सिर पर चोट मारना बताती है। इसके अलावा गवाह सम्पति के मेडिकल रिपोर्ट में अंगुठे की चोट आना बताया है अतः उक्त गवाह के मुख्य परीक्षण व प्रतिपरीक्षण में विरोधाभासी कथन होने से अभियोजन कहानी में संदेह उत्पन्न होता है। उक्त गवाह के कथनों से भी अभियेाजन कहानी संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती है। गवाह पीडब्ल्यू 1 रामकरण नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 का गवाह है जो नक्शा मौका अपने सामने बनाने से इन्कार करता है और पुलिस द्वारा खाली कागज पर हस्ताक्षर करना कहता है इस प्रकार उक्त गवाह के कथनों से नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 की पुष्टि संदेह से परे नहीं होती है। गवाह पीडब्ल्यू 5 डॉ मनोज कुमार शर्मा है जो मेडीकल ज्यूरिस्ट है जिसके द्वारा दिनांक 16–08–2020 को मजरूब बाबुडी व सम्पति की चोटों का मेडिकल कराना कहा है। घटना दिनांक 14–08–2020 को शाम को 6 बजे की है तथा रिपोर्ट दिनांक 14–08–2020 को समय 9.50 पीएम पर दर्ज करायी गयी है लेकिन मजरूबान का मेडिकल दिनांक 16–08–2020 को कराया गया है जबकि प्रकरण की अनुसंधान अधिकारी को तफ्तीश भी दिनांक 14–08–2020 को मिल गयी थी। मेडिकल ज्यूरिस्ट के द्वारा मजरूबान के जो चोटे बताई गई है उनके संबंध में मजरूबान बाबुडी व सम्पति के बयानों में चोटो को लेकर भारी विरोधाभास है जिससे मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि संदेह से परे नहीं होती है। गवाह पीडब्ल्यू 6 प्रेमराज जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है के द्वारा अपने बयानों में प्रकरण का अनुसंधान करना कहा है उक्त गवाह ने जिरह में मारपीट डण्डो से होना बताया है लेकिन प्रकरण में कोई डण्डा बरामद नहीं किया है। गवाह ने यह भी कथन किया कि जब वह घटनास्थल पर गया तब तारबन्दी हो रही थी या नहीं आज उसे पता नहीं है। जबकि प्रकरण

में मुख्य झगडा बाडे के जाल को हटाने को लेकर गवाहान द्वारा बताया गया है इसके अलावा गवाह ने मजरूबान का मेडीकल दूसरे दिन करवाना बताया जबकि घटना दिनांक 14–08–2020 की है और पत्रावली पर मौजूदा मजरूबान की मेडीकल रिपोर्ट दिनांक 16–08–2020 की है। दिनांक 15–08–2020 की कोई मेडीकल रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। इस प्रकार उक्त गवाह के कथनों से भी अभियोजन कहानी संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष के द्वारा जो भी साक्ष्य पेश की गई है उससे आरोपीगण मुकेश कुमार व राजन्ती के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियोजन पक्ष आरोपीगण मुकेश कुमार व राजन्ती के विरूद्ध आरोपीत अपराध धारा 323, 341, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। ऐसी दशा में आरोपीगण मुकेश कुमार व राजन्ती को आरोपित अपराध धारा 323, 341, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायाचित प्रतीत होता है।

आदेश

18. अतः अभियुक्तगण 1–मुकेश कुमार पुत्र रामनाथ उम्र 42 साल, निवासी कानपुरा थाना नांगल राजावतान जिला दौसा 2–राजन्ती देवी पत्नि मुकेश कुमार उम्र 40 साल, निवासी कानपुरा थाना नांगल राजावतान जिला दौसा को धारा 323, 341, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप से सन्देह के आधार पर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

19. अभियुक्तगण की उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत पूर्व के जमानत–मुचलके तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

20. प्रकरण में जब्तशुदा सामान का बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावे।

21. धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश दिया जाता है कि अभियुक्तगण 06 माह की अवधि में अपीलीय न्यायालय में तलब करने पर उपस्थित रहने के लिये दस हजार रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करे।

(सीमा करोल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01
दौसा, जिला दौसा(राज०)

22 निर्णय आज दिनांक 01–04–2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा करोल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01
दौसा, जिला दौसा(राज०)

Seema Karol,
UID No.- RJ00828
ACJM-1 Dausa